


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1208/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मैसर्स एच.टी.सी. पाईप्स एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन संभाग प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए															
14.09.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के. बैद उपस्थित।</p> <p>उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के अधीन पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि कायम की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें धारा 38(4) के अधीन उक्त मांग राशियों के स्थगन बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 38(4) के अधीन प्रस्तुत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 10.07.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार कर केवल शास्ति की राशि को स्थगित किया निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरुद्ध यह अपील धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>अपील सं.</th> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>कुल मांग राशि</th> <th>अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि</th> <th>शेष बकाया मांग राशि</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208/17</td> <td>12-13</td> <td>81,47,801</td> <td>41,25,104</td> <td>40,22,697</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र सी के समर्थन पर जे.सी.पी. व डम्पर को राज्य के बाहर से आयात किया गया। अपीलार्थी द्वारा सी फार्म के समर्थन पर आयातित जे.सी.पी. व डम्पर का उपयोग स्वयं के खनन कार्य के लिये किया गया है। उसके द्वारा सीएसटी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध सीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कर व ब्याज का आरोपण विधि विरुद्ध किया गया है।</p> <p>अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज पर प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाने के संबंध में कोई आधार नहीं उल्लेखित किया बल्कि एक Non Speaking आदेश पारित किया। विद्वान अभिभाषक लगातार.....2.</p>	अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि	1	2	3	4	5	1208/17	12-13	81,47,801	41,25,104	40,22,697	
अपील सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि													
1	2	3	4	5													
1208/17	12-13	81,47,801	41,25,104	40,22,697													


 14/09/17


द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टाया मामला एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-


1. M/s Parle Products Pvt. Ltd Vs. State of Rajasthan (2013) 35 Tax Update 196 (RHC)
2. BSL Wulfing Limited Vs. state of Rajasthan & Ords (2008) 12 VST 300(RHC)
3. Choudhary Construction Company Vs. The Deputy Commr RLW 2003 (1) Raj. 409 Dated 04-10-2001
4. BGR Energy Systems Limited Vs. AC, A/E, Kota (2013) 37 Tax Update 238(RTB)DB

राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करयोग्य माल जे.सी.पी. व डम्पर राज्य के बाहर से जरिये सी फार्म मंगवाया है। व्यवहारी द्वारा सी फार्म पर मंगवाये गये माल (वाहन) का उपयोग सी.एस.टी. एक्ट 1956 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना पाया गया। व्यवहारी द्वारा पम्प सेट, पाईप आदि का विनिर्माण किया जाता है जबकि व्यवहारी द्वारा जरिये सी फार्म वाहन मंगवाये गये हैं जिसका विनिर्माण व्यवहारी द्वारा नहीं किया जाता है एवं न ही वाहनों का विक्रय व्यवहारी द्वारा किया जाता है। अतः व्यवहारी द्वारा जरिये सी फार्म किया गया संव्यवहार सीएसटी एक्ट की धारा 8(3) सपठित धारा 8(1) के अन्तर्गत वर्णित संव्यवहार नहीं है। उक्त कथन करते हुए राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत Written Submissions पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के Non Speaking आदेश पारित किये जाने का आधार लेकर स्थगन के संबंध में प्रथम दृष्टाया मामला उसके पक्ष में होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख है कि यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। Non Speaking आदेश ही स्थगन का एक मात्र और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब वर्तमान प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं तथ्यों का स्थगन के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल जे.सी.पी. व डम्पर राज्य के बाहर से जरिये सी फार्म मंगवाया है। व्यवहारी द्वारा सी फार्म पर मंगवाये गये माल (वाहन) का उपयोग सी.एस.टी. एक्ट 1956 की



14/09/12




धारा 8 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया। व्यवहारी द्वारा पम्प सेट, पाईप आदि का विनिर्माण किया जाता है जबकि व्यवहारी द्वारा जरिये सी फार्म वाहन मंगवाये गये है उक्त माल व्यवहारी के व्यापार से किस प्रकार संबंधित है, व्यवहारी द्वारा इस प्रक्रम पर स्पष्ट नहीं किया है तथा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है क्योंकि प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.07.2017 के आदेश द्वारा शास्ति की राशि को स्थगित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।


सदस्य 14/09/17

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर



अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

